

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम.....

कोटलाराम वीरा बनाम धमराम वीरा

किस्म मुकदमा..... रा. 0 डावेदन 111, 128 R.R. नं. 145/2022 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... हरराम</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/04/2022 को पेश हो।</p>	
19/04/2022	<p>प्रार्थी व वकील उपर्युक्त/विप्रार्थी गौरी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवापे कथे जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार टोडर पत्रावली दिनांक 26/04/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>
26/04/2022	<p>प्रार्थी व वकील उपर्युक्त/विप्रार्थी की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है अतः पीएलसीन कोर्टकारी नेक्सास के पत्रावली इलवो डलः मिशाल इलवो टोकर दिनांक 12/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाड़मेर</p>

तारीख हुजूम

हुजूम कार्यवाही मध्य इनिशियलस जज

12/5/2022

प्राथी वकील उपस्थित / विप्राथीगणों के  
निरीक्षण पूर्व में जारमे रजिस्ट्रार एडी मिज-  
बाय जमे जिनके ड्राफ्ट 1 माह से अधिक  
है। समय समाप्त हो चुका है जिनके  
सारे से ड्राफ्ट उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय  
समय तीन बजे सावाज लगाई गई सीलिंग  
सावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्राथीगण  
सब मी उनही सारे से ड्राफ्ट अधिवक्ता  
उपस्थित नहीं हुआ। लिये जा विप्राथीगणों  
के निरीक्षण एडुटरम ड्राफ्टवादी समल में  
लगाई जानी है मतः यान्ते सब फावली  
दिनांक 27/06/2022 को पैदा हो।

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु  
— बाकमेर

27/06/2022

प्राथी वकील उपस्थित / विप्राथीगण बावजुद तामिल  
अनुपस्थित / प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के  
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्राथीगणों के  
खातेदारी खेत सेढा सेढा अए हुए है। प्राथी एवं विप्राथीगणों  
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माडे एवं कणे बने हुए थे जो  
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी  
एवं विप्राथीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा  
विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की  
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी  
आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार  
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का  
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को  
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि  
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के  
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क  
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पत्रावली हो, पत्रावली फौसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,  
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1152

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 02,  
जाति जाट, निवासी कोसरिया,  
पटवार मण्डल कोसरिया,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. धर्मराम पुत्र सताराम वगैरा 27,  
जाति जाट, निवासी कोसरिया,  
पटवार मण्डल कोसरिया,  
तहसील बायतु (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 145 / 2022

### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - कोसरिया, पटवार मण्डल - कोसरिया, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 213 रकबा 12.6609 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। उपरोक्त होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 1153-57

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कोहलाराम पुत्र सादुलाराम वगैरा 02,
4. विप्रार्थी श्री धर्मराम पुत्र सताराम वगैरा 27,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला बाड़मेर